भंवरलाल बनाम गंगाराम वगै0
वाद सं0 172/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 172/ 2015 दायर तारीख :– 24.07.2015

1. भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुमावत नि0 ढीण्ढा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र हीरा जाति कुमावत नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री कालूसिंह, अधिवक्ता वादी
श्री हेमराज कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 26-8-19

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 389 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, खं0नं0 392 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 393 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 394 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 395 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 396 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 396/1364 रकबा 7 विस्वा, खं0नं0 663/1361 रकबा 2 विस्वा किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम हिरनोदा प0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने पारस्परिक सहमति से मौके पर बांट रखी है जिसके अनुसार वादी खं0नं0 396/1364, 663/1361, 392, 396 के 1/2 हिस्सें पर व खं0नं0 393, 394 के सम्पूर्ण रकबे पर अपने हिस्सेनुसार काबिज है व शेष हिस्सें पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज है वादी अपने हिस्सें की आराजी खं0नं0 393 व 396/1364 में सदेव से खं0नं0 392 में होकर आता जाता है व अपने हिस्सें की आराजी काश्त करता है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 पारस्परिक सहमति से उपरोक्तानुसार आराजी बांटकर मौके पर काश्त करते आ रहे है किन्तु विधिवत् मौके पर कब्जेंनुसार तकासमा ना होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है ओर वह वादी के हिस्सें की आराजी खं0नं0 393 व 396/1364 में आने जाने के रास्तें जो खं0नं0 392 मे होकर है व व्यवधान पैदा करने लगा है हाल ही बरसात होने पर दिनांक 18.07.15 को वादी अपने हिस्सें की आराजी में कदीमी रास्तें खं0नं0 392 में होकर जाने लगा तो प्रतिवादी सं0 1 ने बाधा उत्पन्न की व झगड़ा फिसाद किया वादी ने मौके के कब्जेंनुसार व हिस्सेनुसार तकासमा कराकर अलहदा अलहदा नक्शें में तरमीम कराने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इंकार हो गया व खुले आम वादी को बेदखल करने उसके हिस्सें पर कब्जा करने व काश्त बोने हेतु कदीमी रास्तें से जाने से मना किया ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज कुमावत ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 की प्रति पेश की है।
4. प्रकरण दिनांक 21.06.2017 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार फुलेरा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

5\. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक नक्शे कुरेजात वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने की सहमति प्रकट कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

6\. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील पक्षकारान की ओर से नक्शे कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शे कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शे कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम हिरनोदा प0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुमावत सा0 ढीण्ढा	393 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा 394 रकबा 16 विस्वा 396 रकबा 14 विस्वा 663/1361 रकबा 2 विस्वा 395 रकबा 14 विस्वा 396/1364 रकबा 3 विस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 10 विस्वा
2	गंगाराम पुत्र हीरा कौम कुमावत सा0देह0	389 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा 1661/395 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा 1660/396 रकबा 14 विस्वा 1659/1364 रकबा 4 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 विस्वा
3	भंवरलाल पुत्र नाथूराम हि0 1/2 जाति कुमावत सा0 ढीण्ढा गंगाराम पुत्र हीरा हि0 1/2 कौम कुमावत सा0देह0	392 रकबा 2 विस्वा

तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26-8-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner